तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज
17.9.15	उभयपक्ष उपस्थित। वादिया ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसकी एक प्रति प्रतिवादी वकील को दी गई। प्रतिवादी प्रा.पत्र जवाब हेतु दिनांक 15.10.15 को पेश हो।
15.10.15	उभयपक्ष उपस्थित, प्रतिवादी कैलाशकंवर संशोधित जवाब संग्राम सिंह ने पेश किया गया जिसकी एक प्रति वादी वकील को दी गई। पत्रावली प्रा.पत्र वादी वकील का जवाब/बहस हेतु दिनांक 29.10.15 को पेश हो।
29.10.15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 19.11.15 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल
19-11-15	उभयपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकार्य से बाहर है/ अवकाश पर है/ पद रिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 26-11-15 को पेश हो। रीडर सहायक कलक्टर माण्डल
26-11-15	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण, उभय पक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र पर पूर्व मे दिनांक 19-3-15 को बहस सुनी गई थी, पत्रावली राजस्व मंडल मे निगरानी याचिका में जाने से आज पुनः उभय पक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 10-12-15 को पेश हो।
10-12-15	पत्रावली पेश हुई, वादिया श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री मानसिंह पत्नि देवी सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2-9.11 द्वारा स्टेशनगर तहसील मांडल की प्रश्नगत आराजियात 6047 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

6048 रकबा 4 बीघा; 6049 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा; 6066 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा; 6067 रकबा 7 बिघा 9 बिस्वा; 6069 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 26 बीघा 15 बिस्वा पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया।

प्रतिवादी सं० 1 श्रीमती कैलाश कंवर पत्नि शिवसिंह द्वारा जवाब पेश कर अवगत कराया गया कि वादिया स्वच्छ हाथो से न्यायालय मे नही आई है यदि विवादित आराजियात पुश्तैनी है तो उसके द्वारा बताया गए सजरे के अनुसार विवादित आराजियात मे मानसिंह के लड़को का भी हक हिस्सा बनता है। किन्तु वादियो ने उन्हे जान-बूझ कर संयोजित नही किया है। यह भूमि उनके स्व० पति श्री शिवसिंह को 1-1-1964 के बख्शीशनामे से मिली है। एवं पति की मृत्यु के बाद प्रथम श्रेणी की वारिस होने के नाते उसके नाम दर्ज हुई है। तथा 26-8-2011 को उसके द्वारा यह भूमि श्री संग्राम सिंह पिता गुमान सिंह को विक्रय कर उसे कब्जा भी करा दिया है। अतः लोभ-लालच की भावना से प्रेरित होकर यह वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो पोषणीय नही है। प्रकरण मे नव संयोजित प्रतिवादी सं० 7 श्री संग्राम सिंह ने अपने जवाब मे अवगत कराया कि उसने प्रश्नगत भूमि श्रीमती कैलाश कंवर से दिनांक 26-8-2011 को ही क्रय कर ली थी; क्रय की जानकारी के बाद वादिया ने सोची-समझी चाल के तहत, झूठा दावा पेश कर अंतरिम स्थगन प्राप्त किया है. अतः वादिया का प्रार्थना-पत्र खारीज किया जावे। संशोधित प्रार्थना-पत्र पर भी उक्त विपक्षीगण ने यही कथन दोहराया।

वकील वादिया ने दौराने बहस अवगत कराया कि प्रश्नगत भूमि पुश्तैनी है अतः वादिया हक-हिस्से का अधिकारी है, स्थगन के अभाव मे प्रश्नगत भूमि खुर्द बुर्द होगी, जिससे उसे अपूर्णनीय क्षति होगी। वकील वादी द्वारा RBJ (16) 2009 पेज 78 RRD 1993 पेज 206, RBJ (13) 2006 पेज 417 व तृतीय अनुसूची के रूप मे इंतखाब पेश करते हुए; स्थाई

सेव

[illegible] की माँग की गई। वकील प्रतिवादीगण
[illegible] बताया गया कि प्रश्नगत भूमि प्रतिवादी सं०
[illegible] उनके पिता श्री शिव सिंह को खातेदारी
[illegible] प्राप्त हुई है, एवं तत्पश्चात विरासत
[illegible] के नाम दर्ज हुई है, वादिया का श्री
शिवसिंह की विरासत से कोई हक नहीं बनता है,
[illegible] से ओलकर वाद एवं प्रार्थना-पत्र
पेश किया गया है, जो खारीज योग्य है।

मामले में वकील वादिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों तथा प्रतिवादियो द्वारा प्रस्तुत जवाब वकील प्रतिवादियों की बहस एवं साबिक राजस्व अभिलेख पर मनन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सम्वत् 2020 से 2023 की जमाबंदी कि अंकन अनुसार 50 वर्ष पहले श्री मान सिंह द्वारा बख्शीस के आधार पर श्री शिवसिंह के नाम दर्ज हुई है; श्री शिवसिंह की मृत्यु के पश्चात यह भूमि बेवा कैलाश कंवर के नाम दर्ज होकर प्रतिवादी सं० 7 श्री संग्राम सिंह को विक्रय होचुकी है, इस प्रकार प्रथम दृष्टया वादिया श्रीमति प्रेम कंवर को अपूर्णनीय क्षति होने एवं सुविधा संतुलन के बिन्दु का कोई ठोस आधार प्रतीत नही होता है, अतः प्रार्थना पत्र वादिया अन्तर्गत 212 RTA. खारीज किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई-निषेधाज्ञा खारीज की जाती है, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल